(Authoritative English text of this Department Notification No. MPP-A(3)-1/2017-I as required under clause (2) of Article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Multi Purpose Projects & Power
******

No. MPP-A(3)-1/2017-I Dated; Shimla-171002, the 02/09/ **/2024**

NOTIFICATION

In supersession of Government notification No.MPP-A(4)-5/91 dated 15th October, 1992 and in exercise of the powers conferred under section 53 (f) of the Electricity Act, 2003 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make following order to regulate the levy of fees for initial or periodic inspection and testing of electrical installations and generally for the services provided by the Chief Electrical Inspector to the Government of Himachal Pradesh under the Act ibid and the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023, namely:-

1. **Short title and Commencement**:-
   (1) This order may be called the Himachal Pradesh Levy of Fees for Inspection and Testing order, 2024.
   (2) It shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. **Definitions**:- In this order, the terms and expression used shall have same meaning as they have in the Electricity Act, 2003 and the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023 except that for the purpose of this order:-
   (a) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;
   (b) "Chief Electrical Inspector" means an Electrical Inspector appointed under section 162 of the Act;
   (c) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;
   (d) "initial" with reference to the inspection, examination or test of any electrical installation or apparatus shall mean the first inspection carried out by the Chief Electrical Inspector or any Officer appointed to assist him, before commencement of supply or recommencement after shutdown for six months or more as specified under regulation 45 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023 and shall include the first inspection, examination or test necessitated in the existing installation except these carried out

Please upload on official website

7/9/24

T.A.-II

विद्युत निरीक्षणालय
आवती सं. 2312
दिनांक 7-9-24
हि.प्र. शिमला

under the instructions of the Chief Electrical Inspector of his authorized representative with the sole purpose of rectifying a defective installation already inspected by the said inspector or his authorized representative;

(e) "Owner" means a licensee and shall include an occupier of any building, place, carriage or vessel in which energy is, or is about to generated, received or used;

(f) "periodic" with reference to the inspection, examination or test of any electrical installation or apparatus shall mean the inspection or test carried out in pursuance of regulation 32 of Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023 once in every five years; and

(g) "Government Treasury" means a Treasury or a Sub-Treasury of the Government;

3. Fees:- The fee shall be levied for inspecting and testing (including periodic inspections) and generally for the services of Chief Electrical Inspector or any other officer appointed to assist him under the Electricity Act, 2003 and the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2023 as amended from time to time and shall be realized from the persons and in accordance with the scales specified in the "SCHEDULE OF FEES" annexed to this order subject to the following conditions:-

(i) In the case of an extension or alteration of the installation or in the opinion, which will be recorded in writing, of the Chief Electrical Inspector necessitated by breach of any of the provisions of the Act or of the regulations made thereunder or by the neglect or failure of the licensee or owner to carry out within stipulated time, any written order of Chief Electrical Inspector or any other officer appointed to assist him, fee will be equal to fee prescribed.

(ii) The fee for subsequent inspection or test of an installation is necessitated as a result of detection of defects during initial or any other inspection will be equal to fee prescribed.

4. Payment of fee and other charges:

(1) The fee payable under this order shall be paid in the Government treasury in advance under head of account prescribed by the State Government:

Head of Account: - DDO Code- 077 for Capital Treasury Shimla.

950 for other than Capital Treasury.

0043 - Taxes and Duties on Electricity.

102 - Receipt under the Indian Electricity rule.

01 - Inspection fee.

(2) The fee shall be paid by the owner of the installation excluding non-commercial department of the State Government except where provided otherwise.

5. Repeal and Saving:-

(1) The Himachal Pradesh Levy of Fees for Testing and Inspection Orders, 1992 issued vide Notification No.MPP-A(4)-5/91 dated 15.10.1992 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the order so repealed shall be deemed to have been validity done, or taken under the corresponding provisions of these rules.

6. Miscellaneous:- For an inspection, examination or test not provided for in any of the foregoing scale the Chief Electrical Inspector may impose such other fees as he may consider reasonable and proper in the circumstances.

N.B.- (1) In cases where fee have already been deposited at the existing rates prior to publication of this notification no additional fee, if any shall be chargeable even if the inspection is carried out subsequent to this notification.

(2) For the purpose of section 53 (f) of the Electricity Act, 2003, all the electrical installations which have not been inspected earlier but have been energized shall be considered as new installation.

"SCHEDULE OF FEES"

Scale-A		
Sr. No.	**Connected Load of installation**	**Inspection fee for initial or periodical inspection (in rupees)**
1.	≤ 5 KW	300/-
2.	>5 to 20 KW	600/-
3.	>20 to 50 KW	750/-
4.	>50 to 100 KW	900/-
5.	>100 to 400 KW	1500/-
6.	>400 to 750 KW	2400/-

7.	>750 to 1000 KW	3000/-
8.	>1000 KW	4500/-
	Scale-B	
Sr. No.	**Rating of Generating Set**	**Inspection fee for initial or periodical inspection (in rupees)**
1.	≤ 5 KW	300/-
2.	>5 to 20 KW	600/-
3.	>20 to 50 KW	750/-
4.	>50 to 100 KW	900/-
5.	>100 to 400 KW	1500/-
6.	>400 to 750 KW	2400/-
7.	>750 to 1000 KW	3000/-
8.	>1000 KW	4500/-
	Scale-C	
	a)Transformers (pressure not exceeding 33000 volts)	
Sr. No.	**Transformers**	**Inspection fee for initial or periodical inspection (in rupees)**
1.	≤ 25 KVA	900/-
2.	>25 to 100 KVA	1200/-
3.	>100 to 250 KVA	1500/-
4.	>250 to 750 KVA	2400/-
5.	>750 to 1000 KVA	3000/-
6.	>1000 KVA	4500/-
7.	Oil Circuit Breaker (OCB)/ Air Circuit Breaker (ACB) etc. (Other equipments) for rating 11KV/22 KV/33 KV	1200/-
8.	Extension of Switchyard	1200/-
	b)Transformers {pressure of more than 33000 volts (Extra High Tension installations)}	
Sr. No.	**Transformers**	**Inspection fee for initial or periodical inspection (in rupees)**
1.	Oil Circuit Breaker (OCB)/ Air Circuit Breaker (ACB) etc. (Other equipments) for rating 66KV/132 KV & above	1500/-
2.	≤ 5000 KVA	6000/-
3.	For additional 5000 KVA and part thereof	1200/-
4.	Extension of Switchyard	1500/-

	Scale-D	
1.	A high voltage service connection	800/-
2.	A medium voltage service connection	500/-
3.	A low voltage service connection	400/-

Scale-E

Sr. No.	**Length**	**Inspection fee (in rupees)**
	a) For initial or periodical inspection or examination of aerial line or under-ground cable up to and including 33000 volts	
1.	≤ 1KM	600/-
2.	Every additional 1KM	150/-
3.	Every alteration or replacement in line	900/-
	b) For initial or periodical inspection or examination of aerial line or under-ground cable up to the exceeding 33000 volts.	
1.	≤ 1KM	900/-
2.	Every additional 1KM	300/-

Scale-F

	Electric traction system, trolley wires and overhead diem of 8 overhead equipment and test of bonding hours and / or leakage currents	
1.	Per electric traction system, trolley wires	900/-

Scale-G

Sr. No.	**Type of inspection**	**Inspection fee (in rupees)**
1.	For an inspection, examination or test of any main, distributing mains or service line for the existence of electrolysis or other injury to any water gas or to any appliance connected herewith.	300/- for first hour or part and thereafter 150/- per hour or part thereof plus other pipe or cost of transportation

Scale-H

Sr. No.	**Type of inspection**	**Inspection fee (in rupees)**
1.	For testing of installation for leakage to earth	150/- per hour subject to maximum of 600/- plus cost of transportation

Scale-I		
Sr. No.	**Type of inspection**	**Inspection fee (in rupees)**
1.	For localizing the leakage to earth in any installations	150/- per hour subject to maximum of 60/- plus cost of transportation
2.	For others	450/-

By Order

Rakesh Kanwar, I.A.S.
Secretary (Power) to the
Govt. of Himachal Pradesh

Endst. No. MPP-A(3)-1/2017-I Dated:Shimla-02, the 02/09/2024

Copy is forwarded to the following for information & necessary action to:-

1. The Principal Accountant General (Himachal Pradesh) Shimla-03
2. The All Administrative Secretary/ All Addl. Secretary/ All Principal Secretary, All Secretary, Government of Himachal Pradesh, Secretariat, Shimla-2.
3. The Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh, H.P. Secretariat, Shimla-2.
4. The Principal Secretary (Finance) Government of Himachal Pradesh-2
5. The Deputy Legal Advisor and Deputy Secretary (Law), Government of Himachal Pradesh-2
6. All Head of Department, Himachal Pradesh.
7. The Chief Electrical Inspector, Himachal Pradesh, Block 29, SDA Complex Kasumpti, Shimla-09 with the request to upload the said notification (in Hind and English) on the department website.
8. The Joint Secretary (General Administration) to the Govt. of Himachal Pradesh w.r.t Item No.1 of CMM dated 02/03/2024.
9. The Guard File.

(Arindam Chaudhary, I.A.S)
Special Secretary (Power) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
बहुउदेदशीय परियोजना एवं विद्युत विभाग

संख्याः एम0पी0पी0–ए(3)–1/2017–I दिनांक शिमला–2 02/09/2024

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, शासकीय अधिसूचना संख्या एम0पी0पी0–ए (4)–5/91, तारीख 15 अक्तूबर, 1992 के अधिक्रमण में और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 (च) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से सबंधित उपाय) विनियम, 2023 के अधीन विद्युत स्थापनों के प्रारंभिक या आवधिक निरीक्षण और परीक्षण के लिए और साधारणतः हिमाचल प्रदेश के मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए फीस के उदग्रहण को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित आदेश बनाते है, अर्थात:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–**

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरीक्षण परीक्षण के लिए फीस के उदग्रहण आदेश, 2024 है ।

(2) यह आदेश राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगा।

2 **परिभाषाएं :–** इस आदेश के प्रयोजन के सिवाय इस आदेश में प्रयुक्त शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके विद्युत अधिनियम, 2023 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 में है:–

(क) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "मुख्य विद्युत निरीक्षक" से अधिनियम की धारा 162 के अधीन नियुक्त विद्युत निरीक्षक अभिप्रेत है;

(ग) किसी विद्युत स्थापन या उपकरण के निरीक्षण, जांच या परीक्षण के संदर्भ में "प्रारंभिक" से मुख्य विद्युत निरीक्षक या उसकी सहायता के लिए नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा किया गया प्रथम निरीक्षण अभिप्रेत होगा, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 के विनियम 45 के अधीन विनिर्दिष्ट अनुसार आपूर्ति प्रारम्भ करने या छह मास या अधिक समय तक बन्द रहने के पश्चात् पुनः प्रारम्भ करने से पूर्व किया जाएगा और इसके अन्तर्गत पहले ही उक्त निरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षित दोषपूर्ण स्थापन को ठीक करने के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को जारी आनुदेशों के सिवाय विद्यमान स्थापन में आवश्यक हुआ प्रथम निरीक्षण या जांच भी है;

(घ) "स्वामी" से अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत किसी भी भवन, स्थान, वाहन या जलयान जिसमें ऊर्जा है या जिस से ऊर्जा उत्पन्न, प्राप्त या प्रयुक्त की जा सकती है का अधिभोगी भी सम्मिलित होगा;

(ड.) किसी विद्युत स्थापन या उपकरण के निरीक्षण, जांच या परीक्षण के संदर्भ मे "आवधिक" से प्रत्येक पांच वर्ष मे एक बार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 के विनियम, 32 के अनुसरण में किया जाने वाला निरीक्षण या परीक्षण अभिप्रेत होगा; और

(च) " सरकारी खजाने " से सरकार का खजाना (ट्रेजरी) या उप–खजाना अभिप्रेत होगा।

3. **फीस :–** फीस निरीक्षण और परीक्षण (आवधिक निरीक्षणों सहित) और साधारणतया मुख्य विद्युत निरीक्षक या उसकी सहायता के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी की सेवाओं के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 और समय–समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

(विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से संबधित उपाय) विनियम, 2023 के अधीन उदगृहीत और इस आदेश से संलग्न "फीस की अनुसूची" में विनिर्दिष्ट स्केल के अनुसार व्यक्तियों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन वसूल की जाएगी :–

(i) स्थापन के विस्तार या परिवर्तन के मामले में या मुख्य विद्युत निरीक्षक की राय में, जो लिखित में अभिलिखित की जाएगी, अधिनियम या तदधीन बनाए गए विनियमों के किसी भी उपबंध या अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की उपेक्षा या निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा करने में विफलता के कारण मुख्य विद्युत निरीक्षक या उसकी सहायता के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के किसी लिखित आदेश की फीस, निर्धारित (विहित) फीस के समान होगी।

(ii) प्रारंभिक या किसी अन्य निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों के परिणाम स्वरूप किसी स्थापन के बाद के निरीक्षण या परीक्षण के लिए फीस, विहित फीस के बराबर होगी।

4. **फीस और अन्य प्रभारों का संदाय** :–

(1) इस आदेश के अधीन देय फीस राज्य सरकार द्वारा विहित लेखा शीर्ष के अधीन सरकारी खजानें में अग्रिम रूप से जमा की जाएगी।

लेखा शीर्ष :– डी0डी0ओ0 कोड–077, कैपिटल ट्रेजरी शिमला हेतु।
950, कैपिटल ट्रेजरी से अन्यथा के लिए।
0043– विद्युत पर कर और शुल्क,
102– भारतीय विद्युत नियम के अधीन रसीद
01 – निरीक्षण फीस।

(2) फीस जब तक अन्यथा उपबंधित न हो के सिवाय राज्य सरकार के गैर–वाणिज्यिक विभाग को छोड़कर, स्थापन के स्वामी द्वारा संदत की जाएगी।

5. **निरसन और व्यावृति**:–

(1) अधिसूचना संख्या एम0पी0पी0–ए(4)5/91, तारीख 15–10–1992 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश परीक्षण और निरीक्षण के लिए फीस के उद्ग्रहण आदेश, 1992 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त आदेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस आदेश के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

6. **प्रकीर्ण**:– पूर्वगामी मापमानों स्केल में उपबंधित न किए गए निरीक्षण, परीक्षण या जांच के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक ऐसी अन्य फीस अधिरोपित कर सकेगा जैसी वह परिस्थितयों में युक्तियुक्त और उचित समझें।

एन. बी. :– (1) उन मामलों में जहां फीस इस अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व विद्यमान दरों पर पहले ही जमा कर दी गई है तो भी अतिरिक्त फीस, यदि कोई हो, प्रभार्य नहीं होगी, यद्यपि निरीक्षण इस अधिसूचना के पश्चात किया गया हो।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 (च) के प्रयोजन हेतु, समस्त विद्युत स्थापन, जिनका पहले निरीक्षण नहीं किया गया है, किन्तु जो ऊर्जाकृत हो चुके हैं, नवीन स्थापन समझे जाएंगे।

" फीस की अनुसूची "

	मापमान (स्केल)– क	
कम संख्या	स्थापन से सम्बद्ध लोड	प्रारंभिक या आवधिक निरीक्षण के लिए निरीक्षण फीस (रूपए में)
1.	≤ 5 के0 डब्ल्यू0	300/–
2.	> 5 से 20 के0 डब्ल्यू0	600/–
3.	> 20 से 50 के0 डब्ल्यू0	750/–
4.	> 50 से 100 के0 डब्ल्यू0	900/–
5.	> 100 से 400 के0 डब्ल्यू0	1500/–
6.	> 400 से 750 के0 डब्ल्यू0	2400/–
7.	> 750 से 1000 के0 डब्ल्यू0	3000/–
8.	> 1000 के0 डब्ल्यू0	4500/–

	मापमान (स्केल)– ख	
कम संख्या	जनरेटिंग सेट की रेटिंग	प्रारंभिक या आवधिक निरीक्षण के लिए निरीक्षण फीस (रूपए में)
1.	≤ 5 के0 डब्ल्यू0	300/–
2.	> 5 से 20 के0 डब्ल्यू0	600/–
3.	> 20 से 50 के0 डब्ल्यू0	750/–
4.	> 50 से 100 के0 डब्ल्यू0	900/–
5.	> 100 से 400 के0 डब्ल्यू0	1500/–
6.	> 400 से 750 के0 डब्ल्यू0	2400/–
7.	> 750 से 1000 के0 डब्ल्यू0	3000/–
8.	> 1000 के0 डब्ल्यू0	4500/–

	मापमान (स्केल)– ग	
	क) ट्रांसफार्मर (दबाव 33000 वोल्ट से अधिक नहीं)	
कम संख्या	ट्रांसफार्मर	प्रारंभिक या आवधिक निरीक्षण के लिए निरीक्षण फीस (रूपए में)
1.	≤ 25 के0वी0ए0	900/–
2.	> 25 से 100 के0वी0ए0	1200/–
3.	> 100 से 250 के0वी0ए0	1500/–
4.	> 250 से 750 के0वी0ए0	2400/–
5.	> 750 से 1000 के0वी0ए0	3000/–
6.	> 1000 के0वी0ए0	4500/–
7.	ऑयल सर्किट ब्रेकर (ओ0सी0बी0)/एअर सर्किट ब्रेकर (ए0सी0बी0) इत्यादि। (अन्य उपस्करों) के लिए 11 के0वी0/22के0वी0/33के0वी0 की दरें	1200/–
8.	स्विचयार्ड का विस्तार	1200/–

	ख) ट्रांसफार्मर {33000 वोल्टेज से अधिक का दबाव (अतिरिक्त उच्च तनाव स्थापन)}	
कम संख्या	ट्रांसफार्मर	प्रारंभिक या आवधिक निरीक्षण के हेतु निरीक्षण फीस (रूपये में)
1.	ऑयल सर्किट ब्रेकर (ओ0सी0वी0)/एअर सर्किट ब्रेकर (ए0सी0बी0) इत्यादि। (अन्य उपस्करों के लिए 66 के0वी0/132के0वी0 एवं उपरोक्त की दरें	1500/-
2.	≤5000 के0वी0	6000/-
3.	अतिरिक्त 5000के0वी0ए0 और उसके भाग के लिए	1200/-
4.	स्विचयार्ड का विस्तार	1500/-
	मापमान (स्केल) डी	
1.	उच्च वोल्टेज सेवा कनेक्शन	800/-
2.	मध्यम वोल्टेज सेवा कनेक्शन	500/-
3.	निम्न वोल्टेज सेवा कनेक्शन	400/-
	मापमान (स्केल) ई	
कम संख्या	दीर्घता	निरीक्षण फीस (रूपए में)
	क) प्रारम्भिक या आवधिक निरीक्षण या आकाशी लाइन के परीक्षण या भूमिगत केवल तक या 33000 वोल्टेज सम्मिलित के लिए	
1.	< 1 के0एम0	600/-
2.	प्रत्येक अतिरिक्त 1 के0एम0	150/-
3.	लाइन में प्रत्येक परिवर्तन या प्रतिस्थापन	900/-
	ख) प्रारम्भिक या आवधिक निरीक्षण या आकाशी लाइन के परीक्षण या भूमिगत केवल तक या 33000 वोल्टेज से अधिक के लिए	
	< 1 के0एम0	900/-
	प्रत्येक अतिरिक्त 1 के0एम0	300/-
	स्केल -एफ	
	विद्युत कर्षण पद्वति, ट्रॉली तार और आठ शिरोपरि डायम और वॉन्डिग घंटों और या रिसन वर्तमान का परीक्षण	
1.	प्रति विद्युत कर्षण पद्वति, ट्रॉली तार	900/-
	स्केल-जी	
कम संख्या	निरीक्षण के प्रकार	निरीक्षण फीस (रूपए में)
1.	किसी जल गैस या इससे जुड़े किसी भी उपकरण में इलैक्ट्रॉलिसिस या अन्य हानि के अस्तित्व के लिए किसी भी मुख्य, वितरण मुख्य या सेवा लाइन के निरीक्षण, परिक्षण या परिक्षण के लिए	प्रथम घंटे या भाग के लिए 300/-और उसके पश्चात 150/-प्रति घंटा या उसके भाग के अन्य पाइप या परिवहन के व्यय
	स्केल-एच	
कम0 संख्या	निरीक्षण के प्रकार	निरीक्षण फीस (रूपए में)
1.	पृथ्वी पर रिसन के लिए प्रतिष्ठापन के परीक्षण के लिए	परिवहन के व्यय प्लस 600/- के अधिकतम के अध्यधीन 150/ प्रति घण्टा

	स्केल– आई	
क्रम संख्या	निरीक्षण के प्रकार	निरीक्षण फीस (रूपए में)
1.	किसी प्रतिस्थापन में पृथ्वी पर रिसन को स्थानीयकृत के लिए	परिवहन के व्यय प्लस 60/– के अधिकतम के अध्यधीन 150 प्रति घण्टा
2.	अन्यों के लिए	450/–

आदेश द्वारा,

(राकेश कंवर, आई.ए.एस.)
मुख्य सचिव (विद्युत)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः एम0पी0पी0–ए (3)–1/2017–I यथोपरि तारीख, शिमला–02, 02/09/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेशित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0), हिमाचल प्रदेश, शिमला–3 ।
2. समस्त प्रशासनिक सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रधान सचिव/समस्त सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार ।
3. प्रधान सचिव (वित) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला.2 ।
4. संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला.2 को मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक 02/03/2024 के मद संख्या–1 के सन्दर्भ में ।
5. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
8. मुख्य विद्युत निरीक्षक, ब्लॉक न0 .28, एसडीए काम्पलेक्स, कसुम्पटी, शिमला–9 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त घोषणा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. सरक्षण नस्ति।

(अरिन्दम चौधरी, आई.ए.एस.)
विशेष सचिव (विद्युत)
हिमाचल प्रदेश सरकार।